**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3087**

**जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है**

**कोयला खनन का पर्यावरण पर प्रभाव**

**3087. श्री कीर्ति आज़ादः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर कोयला खनन और ताप विद्युत उत्पादन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कोयला समृद्ध राज्यों पर पर्यावरण और अवसंरचना संबंधी बोझ का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की हानि के लिए कोयला-धारक राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कोयला उत्खनन और परिवहन पर उपकर या शुल्क लगाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने वित्त आयोग के तहत राजस्व-साझाकरण या समर्पित निधियों के माध्यम से कोयला समृद्ध राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता ढांचे पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) और (ख) :** कोयला खनन का कार्य एक स्थान विशिष्ट कार्यकलाप है। अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन किया जाता है और संधारणीय खनन और पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों की आयोजना और कार्यान्वयन द्वारा इन्हें निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) तैयार करने के लिए खनन पूर्व और उसके पश्चात की स्थितियों पर विचार करते हुए प्रत्येक परियोजना के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है। उसी के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए शर्तें/उपशमन उपाय

निर्धारित किए जाते हैं जिनका परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने पर, परियोजना प्रस्तावक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से जल और वायु अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) – एक बारगी और प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ) - आवधिक रूप से प्राप्त करता है। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ईसी, सीटीओ आदि में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी आदि जैसे नियामकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

देश में कोयला खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल पहलें की गई हैं जैसे कि वृक्षारोपण/जैव-सुधार, सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग और इको-पार्कों का विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

इसके अतिरिक्त, कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए सफल बोलीदाता और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के बीच निष्पादित वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार के खंड 11.5 में यह अधिदेश दिया गया है कि सफल बोलीदाता आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी का कार्यान्वयन करेगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता कोयला खान में प्रचालनों से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और अच्छी उद्योग पद्धति के अनुसार संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।

**(ग) से (ङ) :** वर्तमान में, पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की हानि के लिए कोयलाधारी राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कोयला निष्कर्षण और परिवहन पर उपकर अथवा लेवी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोयला उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारें कोयला कंपनियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी उत्पादित कोयले के बिक्री मूल्य पर 14% रायल्टी तथा रायल्टी का @ 30% डीएमएफ प्राप्त करने की पात्र हैं। इसके अलावा, रॉयल्टी राशि का @2% राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को योगदान दिया जाता है, जिसका उपयोग भावी अन्वेषण गतिविधियों के लिए किया जाता है। माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत कोयले पर 400 रुपये प्रति टन की दर से माल और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। कैप्टिव/वाणिज्यिक खानों के मामले में राज्य सरकारें पारदर्शी बोली प्रक्रिया में नीलामी धारक द्वारा प्रस्तावित राजस्व हिस्सा प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत कोयला खनन क्षेत्रों के विकास के लिए योगदान दे रही हैं।

****